Day-II
Sem-II

राज्यपाल (Governor)

* परिचय
* नियुक्ति
* राज्यपाल की शक्तियाँ
* राज्यपाल की भूमिका

परिचय: राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल, केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

संविधान के 6 ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत - राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता जैसे केन्द्र में उपराष्ट्रपति होते हैं।

राज्यपाल की नियुक्ति: राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और केन्द्र सरकार का अधीनस्थ नहीं है।

पदावधि: राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष है किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह राज्यपाल, जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है उसे अन्य राज्यों में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य

संविधान द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो राष्ट्रपति की केन्द्र में। अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत समानता है। डॉ. डी.डी. बसु के शब्दों में, "राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं, सिवाय कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकाल के अधिकारों को छोड़कर।" राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है —

(1) **कार्यपालिका शक्तियाँ**: राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ -

Ajanta Oxford

P.T.O.

पक्षविकारियों द्वारा सम्पादित करता है। वह मुख्यमंत्री का निर्वाचन करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की। वह महाधिवक्ता, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उससे परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य सूचि में उल्लिखित विषयों से संबंधित है। समवर्ती सूचि के विषय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात प्रयोग करता है।

उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत करावे।

(2) **विधायी शक्तियाँ**: राज्यपाल विधायिका का एक अनिवार्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग भी कर सकता है। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में वह एक या दोनों सदनों को किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है।

राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है, या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। अगर विधानमंडल दुबारा वही विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी।

राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की बैठक के बाद की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का वही बल तथा प्रभाव होता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अध्यादेश का होता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक क्रियाशील रहता है। यदि 6 सप्ताह के पहले ही विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश रद्द समझा जायेगा।

वह राज्य विधानपरिषद के सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान में विशेष ज्ञान हो। वह आंग्ल समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व दे सकता है। इस प्रकार राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है।

(3) **वित्तीय शक्तियाँ**: राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व-स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल की स्वीकृति से वह निकासी का आदेश दे सकता है।

(4) **न्यायिक शक्तियाँ**: संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों

के दण्ड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा माफ भी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा क्षमादान का प्रयोग बिना किसी पक्षपात के किया जाना चाहिए तथा न्यायालय इसकी भी समीक्षा करता है कि राज्यपाल ने क्षमादान के अधिकार प्रयोग उचित ढंग से किया है अथवा नहीं।

(5) विविध शक्तियाँ : राज्यपाल को अनेक विविध शक्तियाँ प्राप्त हैं-

* वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय-व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है।
* अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को वह संवैधानिक विफलता की सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है।
* संविधान के द्वारा किसी राज्य के राज्यपालों को कुछ विशेष मामलों के संबंध में स्वविवेकी शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं।

राज्यपाल की स्थिति या भूमिका
(Position or Role of the Governor)

राज्यपाल की स्थिति या भूमिका के संबंध में दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं। इनमें से प्रथम में, राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष माना जाता है, लेकिन द्वितीय में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राज्यपाल को समझने के लिए दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन उचित होगा -

(1) राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में : राज्यों में भी संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन की व्यवस्था की गई है और संसदीय व्यवस्था में शासन की शक्तियाँ ऐसी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जो व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी हो। अतः मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान। धारा 163(1) के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे। राज्यपाल को अपने कार्यों को निर्वहन करने में सहायता एवं मंत्रणा के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।

डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि जिन राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा, जिसके करने में उसे स्व-विवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े।

राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुके विभिन्न व्यक्तियों ने अपनी स्थिति के बारे में जो कुछ कहा उससे यह आभास मिलता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष है जिसे अपनी सारी कार्य मंत्रिपरिषद् के अनुसार करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, सरोजिनी नायडू ने अपने आपको 'सोने के पिंजड़े में बन्द चिड़िया' बताया था। इसी प्रकार श्री प्रकाश ने कहा था कि, "मुझे छिपाना विधायकों ... मैं केवल संवैधानिक अध्यक्ष हूँ जिसे चुनी हुई सरकार के परामर्श के अलावा कुछ नहीं है।"

(2) **संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक**: राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष मात्र मानना भूल होगी। वास्तव में, वह एक संवैधानिक अध्यक्ष तो है ही, उससे अधिक भी कुछ है। इस दृष्टि से राज्यपाल पद का अध्ययन दो रूपों में किया जाना चाहिए। प्रथम, संविधान निर्माता राज्यपाल को क्या भूमिका देना चाहते थे। द्वितीय, राज्यपाल पदधारी व्यक्तियों ने विभिन्न परिस्थितियों में क्या भूमिका निभायी है।

राज्य शासन में उसकी स्थिति वास्तविक न होते हुए भी राज्य शासन में उसका स्थान सबसे अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है। यह दलगत राजनीति से परे होने के कारण निष्पक्ष होता है। अपने निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्यपाल राज्य के शासन को कुशलता और आदर्शवादी राजनीति में स्थायित्व और स्थिरता लाने की स्थिति में होता है। यदि राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और कर्मशील व्यक्ति हो तो विरोधी पक्ष और मंत्रिमंडल के बीच अनेक मतभेदों को दूर कराने में सहायक सिद्ध हो सकता है। राज्य शासन को सुगम सुचारु और कार्यकुशल बनाने में राज्यपाल का बहुत अधिक महत्व होता है।

——— x ———

डा। RAJESH SINGH, Asst. Professor
Dept: Political Science
R.N. College, Pandaul, Madhubani
Class: Deg II (H), Paper-III
Topics: Governor (राज्यपाल)
Date: 07.05.2020